बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 285369 पटना, दिनांक 21/09/2016

ग्रा.वि.-07(विविध) - 17/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- **02 अक्टूबर 2016 को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित करने के संबंध में ।**

प्रसंगः- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक DO#J-11012/34/2016-IEC दिनांक-29.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाता है ।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-3 के अन्तर्गत ग्राम सभा की बैठक हर तीन महीने में एक बार होनी आवश्यक है । **इस क्रम में निर्णय लिया गया है कि दिनांक 2 अक्टूबर 2016 को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा** ।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-4 की उप धारा (3) के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी मुखिया की है । यदि वह विनिर्दिष्ट रिति से बैठक का आयोजन नहीं कर पाता है तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी (प्रखंड विकास पदाधिकारी) की जानकारी में इस तथ्य को लाये जाने पर वह ऐसी बैठक का आयोजन कर सकते है । कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में भाग लेने हेतु स्वयं या अपने स्थान पर किसी सरकारी सेवक की प्रतिनियुक्ति कर सकते है ।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-7 के अनुसार ग्राम सभा निम्न विषयों पर विचार करेगी :-

i. ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा विवरणी, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन और इस संबंध में दी गई पिछली अंकेक्षण टिप्पणी उसके उत्तर यदि कोई हो ।
ii. अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करना ।
iii. ग्राम पंचायत में विकास कार्यक्रमों के संबंध में पूर्ववर्ती वर्षों का प्रतिवेदन ।
iv. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम पर विचार करना ।
v. निगरानी समिति का प्रतिवेदन पर विचार तथा धारा 9(क) एवं 9(ख) के अनुसार क्रमशः गाँव से सम्बंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी तथा गाँव के विकास स्कीमों का कार्यान्वयन करने के लिए लाभान्वित होनेवालों की पहचान करना ।

उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त इस वर्ष 2 अक्टूबर 2016 को ग्राम सभा में निम्न विषय पर भी विचार किया जायेगा, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुझाए गए विषय- वस्तु को भी शामिल किया गया है । इससे सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत आधारित जनगणना (SECC) के तहत चिन्हित वंचित

परिवारों के आजीविका को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार करने में मदद मिलेगी एवं ग्राम पंचायत के आधारभूत संरचना में सुधार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी ।

- **<u>महात्मा गांधी नरेगा</u>**

i. वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली पूरक योजनाओं का अनुमोदन । विशेषकर मनरेगा एवं एन0आर0एल0एम0 (जीविका) के अभिसरण से महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) के तहत चिन्हित किसानों के जमीन पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली Vermi Compost/Nadep Tank की योजनाओं को अनुमोदित कराया जाएगा ।

ii. निजी भूमि पर ली जानेवाली योजनाओं का आवेदन प्राप्त किया जाएगा तथा लाभार्थी परिवारों के पास जॉबकार्ड नहीं रहने की स्थिति में नए जॉबकार्ड के निबंधन हेतु आवेदन प्राप्त किया जाएगा ।

iii. नरेगा अंतर्गत आधार के सिडिंग के लिए इच्छुक ग्रामीण परिवारों से सहमति प्राप्त किया जाएगा ।

iv. लम्बे समय से चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा उनको शीघ्र पूर्ण कराने हेतु ग्राम सभा से प्राथमिकता तय की जायेगी ।

v. वित्तीय वर्ष 2017-18 का श्रम बजट का निर्माण हेतु नवम्बर एवं दिसम्बर माह में आयोजित होने वाली नियोजन प्रक्रिया (Planning Exercise) के बारे में ग्राम सभा में चर्चा की जायेगी ताकि उक्त प्रक्रिया में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके । (**<u>विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के श्रम वजट के निर्माण एवं वार्षिक कार्य योजना के निर्माण हेतु नवम्बर एवं दिसम्बर माह में नियोजन प्रक्रिया (Planning Exercise) कराया जायेगा जिसके संबंध में अलग से दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा</u>**)

- **<u>अन्य विकास की योजनाओं पर विचार</u>**

i. ग्राम पंचायत मं गरीबी उन्मूलन हेतु रणनीति का निर्माण ।

ii. आजीविका के अवसरों में वृद्धि हेतु रणनीति का निर्माण तथा जीविका (DAY-NRLM) के तहत उत्पादक संस्थाओं (Producer Organization) / संकुलों के निर्माण हेतु रणनीति ।

iii. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पारदर्शिता लाने हेतु प्रयास पर चर्चा ।

iv. **DDUGKY** के अंतर्गत चिन्हित ग्राम पंचायतों में रोजगार परक मजदूरी प्रदान करने वाले कार्यक्रम (Placement Based Wage Employment) के संपूर्ण अच्छादन पर चर्चा ।

v. सामाजिक सुरक्षा पेंशन का ससमय भुगतान हेतु कार्य योजना ।

vi. सामाजिक अंकेक्षण के कार्यो में स्वयं सहायता समूह को शामिल करना ।

vii. गरीबी उन्मूलन विषय पर ग्राम पंचायत की क्षमता का आकलन करने हेतु संसाद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के अंतर्गत चिन्हित ग्राम पंचायतों के प्रगति के आकलन हेतु तैयार किए गए पत्र के साथ संलग्न 36 Point Indicators (पत्र के साथ संलग्न) पर सूचना एकत्रित करना तथा उसे ग्राम सभा के समक्ष उपस्थापित करना ।

(नोटः- 36 Point Indicators की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा एकत्रित की जाएगी । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि संलग्न प्रपत्र में निर्धारित मापदण्ड में ग्राम पंचायतवार सूचना एकत्र कर ग्राम सभाओं में उपस्थापित कराया जाय ।)

<u>ग्रामसभा के आयोजन करने हेतु दिशा निर्देशः-</u>

1. ग्राम सभा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जिला पदाधिकारी अपने स्तर से सभी माननीय सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषदों, जिला कार्यक्रम समन्वयक समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को दिनांक 25.09.2016 तक उपलब्ध करा देंगे और उन्हें या उनके प्रतिनिधियों को ग्राम सभा की कार्रवाई में भाग

लेने हेतु आमंत्रित करेंगे साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से कार्यक्रम की विवरणी अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को देंगे ।

2. ग्राम सभा क्षेत्र के अधीन निवास करनेवाले ग्राम सभा सदस्यों को ग्रामसभा आयोजन की तिथि समय एवं स्थान के संबंध में सूचना निर्गत करने एवं प्रचार-प्रसार का कार्य संबंधित पंचायत सचिव द्वारा बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजक एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली 2011 के नियम 5 के अधीन किया जाएगा ।

3. ग्राम सभा संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय में पंचायत भवन / पंचायत सरकार भवन या किसी अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर ही आयोजित की जाए । यह किसी निजी मकान या स्थान पर आयोजित नहीं होगी । ग्राम पंचायत के मुख्यालय से अलग स्थान पर ग्राम सभा आयोजन की सूचना मिलने पर संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव दोषी माने जायेंगे एवं विधिसम्मत् कार्रवाई के पात्र होंगे । ग्राम सभा की विडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्यता की जाए । इसकी डी0वी0डी0 बनाकर प्रतियॉ जिला स्तर पर संधारित की जाए । ग्राम सभा में माईक इत्यादि की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाए ।

4. ग्राम सभा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि मुखिया / उनकी कार्यकारिणी के सदस्य एक साथ बैठे, उनसे सटे हुए परन्तु अलग पंचायतों के अन्य निर्वाचित सदस्यों, जो उपस्थित हों, के बैठने की व्यवस्था हो तथा ग्राम के लोग इनके आमने-सामने बैंठे । प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य / सदस्यों को ग्राम सभा के आयोजन से संबंधित लिखित आमंत्रण चार दिन पूर्व अवश्य दे दिया जाए । ग्राम सभा की कार्यवाही को देखने हेतु आमंत्रित प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पदाधिकारियों की बैठने की समुचित व्यवस्था ऐसे स्थान पर हो कि पूरी सभा की कार्रवाई दिखे ।

5. ग्रामसभा का समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ग्राम सभा में अधिक से अधिक ग्रामीण समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके ।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

<u>अनुलग्नक :- यथोक्त ।</u>

विश्वासभाजन

20/9/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव ।

अमरजीत सिन्हा
AMARJEET SINHA

सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
SECRETARY
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel.: 91-11-23382230, 23384467
Fax: 011-23382408
E-mail: secyrd@nic.in

DO # J-11012/34/2016-IEC

August 29, 2016

Subject: **Gram Sabha on 2nd October - Suggestions for effective planning and monitoring of rural poverty programmes**

Dear

Like every year Gandhi Jayanti is an occasion for Gram Sabhas to meet to deliberate on the progress made and priorities for reducing deprivation of the poor. Last year the State and local Governments came forward for an intensive planning process through the Gram Sabha on 2nd October, especially in 2569 intensive participatory planning exercise Blocks. The Panchayat Department has also been systematically pushing for the Gram Panchayat Development Plans (GPDP).

2. The involvement of women from Self Help Groups (SHGs) in the Gram Panchayats last year had greatly changed the character of the Gram Sabha meeting. This year also I would like to urge the States to use the opportunity to reflect on where the Gram Panchayats stand with regard to reduction of deprivation of poor households. It is also an opportunity to see where the Gram Panchayat stands on parameters on Panchayat Darpan designed for Panchayats covered under the Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY). A copy of the same is attached.

3. The Socio Economic Caste Census (SECC) has provided a rare opportunity to know the deprivation of households with names and other details. Our endeavour is to transform the lives of these households through an effective thrust on diversification of livelihoods and improvement of rural infrastructure. Some of the priority areas that we would like the Gram Sabhas to look at in the current year are as follows:

(i) Poverty Free Gram Panchayats and adoption of the Dasasutra strategy.
(ii) Adoption of watershed approach in water conservation thrust under MGNREGA.
(iii) Multiple livelihood thrust and formation of Producer Organisations under DAY-NRLM.
(iv) Transparency through stage wise pictorial uploading under the Pradhan Mantri Awas Yojana - Grameen (PMAY-G).
(v) Saturation approach under DDUGKY in identified Gram Panchayats for placement based wage employment.
(vi) Timely payment of social security pension needs to be highlighted during the distressed period.
(vii) Social Audit through certified Social Auditors from SHGs.

(8)

4. The suggestions are purely illustrative and I am sure that the State Governments know best on how to improve the effectiveness of Gram Sabhas. We would also like to urge the States to use interpersonal communication through cultural troupes on a larger scale so that households are empowered through effective public information. We look forward to receiving the 2nd October plans of States for Gram Sabhas based on the suggestions made above. SHG teams could prepare a baseline on where the Gram Panchayat stands in its journey towards becoming a poverty free Gram Panchayat.

With regards,

O/c

Yours sincerely,

sd/-

[Amarjeet Sinha]

encl: as above

To

Principal Secretaries (RD) of all States/UTs

Copy to:

Chief Secretaries of all States/UTs

[Amarjeet Sinha]

Copy for necessary follow up action to:
JS(RC)/ JS(Policy+Trg)/ JS (RH)/ JS(RE)/ JS(RL)/ JS(Trg+Fellowship)/ EA/ Adv. (Stat)

SS&FA

Panchayat Darpan

Progress Report

			By 30 Jun [illegible]	By 24 Apr [illegible]	By 15 Aug 2017	[illegible]		
1	% of children immunized (0-6 age group)							
2	% of Malnourished children (Grade-IV & Grade-III) in the village							
3	% of children (0-6 Age group) receiving ICDS services							
4	No. of village(s) with 100% institutional delivery in the GP							
5	% of days Mid Day Meal (MDM) is served in schools							
6	% of women brought into SHG fold							
7	% of eligible families provided IHHL							
8	% of HHs provided with safe and secure Housing facility*							
9	% of HHs provided with piped drinking water supply							
10	% of internal village road (Paved with Concrete) constructed							
11	% of Households covered under Electrification							
12	% of eligible persons covered under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana							
13	% of eligible persons covered under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana							
14	% of eligible persons covered under Atal Pension Yojana							
15	% of eligible persons covered under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana							
16	% of eligible households covered under RSBY/Health Protection Scheme							
17	% of eligible persons receiving Widow Pension							
18	% of eligible persons receiving old age pension							
19	% of eligible persons receiving disability pension							
20	% of eligible Households provided food grains under PDS							
	% of eligible persons enrolled under							

(6)

Panchayat Darpan

Progress Report

S/No	Indicators (Half yearly)	Baseline 2nd Oct 2016	By 24 April 2017	By [illegible]	[illegible]
23	% of youth (15-35 Years) provided skill training for self employment and placement				
24	**% of Households facilitated for Livelihood development (Out of the identified HHs) with Bank linkage**				
25	% of Area brought under Irrigation				
26	**No. of Village(s) which have achieved ODF status**				
27	% of Anganwadi Centres functioning in its own building				
28	**Extension of Broadband connectivity to the panchayat (Yes/ No)**				
29	E-Panchayat service available at GP office				

S.No	Indicators (Yearly)	Baseline	[illegible]
30	% of children (6-14 Years) attending Primary School		
31	**% of children (15-18 Years) attending High School**		
32	% of girl child (15-18 years) attending high school		
33	**% of HHS served by Health Sub Centre**		
34	% of Primary Health Centre (PHC)		
35	**Whether villages have playground facility (Yes/No)**		
36	**Is Panchayat connected by PMGSY Road? (Yes/No)**		

Note: % will be arrived at keeping in view the requirements laid down in the Village Development Plan/ benchmark set during Baseline Survey

#: *Safe and Secure House means house with walls made up of burnt brick/ concrete and roof made up of tile/slate/metal/ asbestos sheet/ concrete.*